

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक/विउशिनिफोदु/2026/278

दुर्ग, दिनांक - 31/08/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)

(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)

प्रकरण क्रमांक: 174

दिनांक: 28/07/2026

श्रीमती साहिदा बानो, पति श्री आदिल खान,
पारीजात अपार्टमेंट, तालपुर,
रुआबांधा, भिलाई
बी.पी. नं. 1005075280

आवेदक

विरुद्ध

- कार्यपालन अभियंता (SCADA) संभाग,
CSPDCL, भिलाई।
- सहायक अभियंता, रिसाली जोन,
CSPDCL, भिलाई।

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 31/08/2026 को पारित किया गया)

1. आवेदक की शिकायत

आवेदक के अनुसार माह मई 2026 के विद्युत देयक में अत्यधिक खपत दर्शाते हुए ₹2,550/- का देयक जारी किया गया, जो वास्तविक खपत की तुलना में अत्यधिक है। आवेदक का कहना है कि पूर्ववर्ती महीनों की खपत की तुलना में मई 2026 में दर्शाई गई खपत में असामान्य एवं अत्यधिक वृद्धि हुई है। अतः उक्त देयक की जाँच कर आवश्यक सुधार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है :-

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 2 किलोवाट है।

3. शिकायत का संक्षिप्त विवरण

आवेदक को माह मई 2026 का विद्युत देयक 341 यूनिट की खपत के आधार पर ₹2,550/- का प्राप्त हुआ। आवेदक के अनुसार पूर्ववर्ती महीनों में विद्युत खपत क्रमशः 182, 52, 79, 165 एवं 102 यूनिट रही है। उक्त पूर्ववर्ती खपत की तुलना में मई 2026 में 341 यूनिट की खपत असामान्य रूप से अधिक है।

आवेदक के अनुसार उसका कनेक्शन 2 किलोवाट स्वीकृत भार का घरेलू कनेक्शन है तथा उक्त बिल में दर्शाई गई खपत वास्तविक खपत के अनुरूप नहीं है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया है कि आवेदक श्रीमती साहिदा बानो, बी.पी. क्रमांक 1005075280, परिजात, रिसाली द्वारा अधिक विद्युत बिल प्राप्त होने के संबंध में ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

अनावेदकगण के अनुसार आवेदक से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने पर यह ज्ञात हुआ कि माह मई 2026 में ओवर रीडिंग होने के कारण विद्युत देयक अत्यधिक राशि का जारी हो गया था। तत्पश्चात उक्त बिल में आवश्यक सुधार कर संशोधित विद्युत देयक जारी किया जा चुका है तथा इसकी सूचना आवेदक को दूरभाष के माध्यम से दे दी गई थी।

अनावेदकगण के अनुसार संशोधित देयक के संबंध में आवेदक द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई तथा संशोधित देयक का भुगतान भी आवेदक द्वारा कर दिया गया है।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

- (i) क्या माह मई 2026 में आवेदक के विद्युत देयक में दर्शाई गई खपत वास्तविक/औसत खपत के अनुरूप थी?

(ii) क्या अनावेदकगण द्वारा आवेदक के विद्युत देयक में आवश्यक सुधार कर संशोधित देयक जारी किया गया है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) एवं (ii) की विवेचना

फोरम द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्र एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अनावेदकगण द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि माह मई 2026 में ओवर रीडिंग के कारण अधिक राशि का देयक जारी हुआ था, जिसे सुधार कर संशोधित देयक जारी किया जा चुका है तथा आवेदक द्वारा संशोधित देयक का भुगतान भी कर दिया गया है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं अनावेदकगण के उत्तर के आधार पर फोरम इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मई 2026 के देयक में हुई त्रुटि को अनावेदकगण द्वारा स्वीकार कर उसका सुधार किया जा चुका है।

उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा अधिक बिलिंग की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए देयक में सुधार किया गया तथा संशोधित देयक जारी किया गया। आवेदक द्वारा संशोधित देयक के भुगतान किए जाने के संबंध में भी अनावेदकगण द्वारा अपने जवाब में कही गई है। इसके पुष्टि आवेदक द्वारा किया जा चुका है।

अतः वर्तमान प्रकरण में आवेदक के पक्ष में किसी अतिरिक्त राशि की वापसी अथवा अन्य राहत प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है।

7. आदेश

1. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम यह पाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में अनावेदकगण द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा चुकी है तथा संशोधित विद्युत देयक जारी किया जा चुका है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में आवेदक को पृथक से कोई अतिरिक्त राहत प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं पाया जाता। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद निराकृत किया जाता है।

2. आदेश पारित

3. प्रकरण निराकृत

4. यदि उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रचलित नियमों के अनुसार इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक

[illegible]

附錄 1 附錄 2 附錄 3 附錄 4 附錄 5 附錄 6 附錄 7 附錄 8 附錄 9 附錄 10 附錄 11 附錄 12 附錄 13 附錄 14 附錄 15 附錄 16 附錄 17 附錄 18 附錄 19 附錄 20 附錄 21 附錄 22 附錄 23 附錄 24 附錄 25 附錄 26 附錄 27 附錄 28 附錄 29 附錄 30 附錄 31 附錄 32 附錄 33 附錄 34 附錄 35 附錄 36 附錄 37 附錄 38 附錄 39 附錄 40 附錄 41 附錄 42 附錄 43 附錄 44 附錄 45 附錄 46 附錄 47 附錄 48 附錄 49 附錄 50 附錄 51 附錄 52 附錄 53 附錄 54 附錄 55 附錄 56 附錄 57 附錄 58 附錄 59 附錄 60 附錄 61 附錄 62 附錄 63 附錄 64 附錄 65 附錄 66 附錄 67 附錄 68 附錄 69 附錄 70 附錄 71 附錄 72 附錄 73 附錄 74 附錄 75 附錄 76 附錄 77 附錄 78 附錄 79 附錄 80 附錄 81 附錄 82 附錄 83 附錄 84 附錄 85 附錄 86 附錄 87 附錄 88 附錄 89 附錄 90 附錄 91 附錄 92 附錄 93 附錄 94 附錄 95 附錄 96 附錄 97 附錄 98 附錄 99 附錄 100

FOR THE RECORD

1999

1992-1993 1993-1994 1994-1995

विष्णुसहस्रनाम

~~স্বাধীনতা~~

100

Figure 1. *Phragmites* and *Spartina* coverages in the marsh.

Figure 1